



Certificate No. EAR2017E142



Stamp Duty Paid : ₹ 3322500

GRN No. 27308048



Penalty : ₹ 0

(In Rupees)

Seller / First Party Detail

Name: Tara Devi

H.No/Floor: Xx

Sector/Ward: Xx

LandMark: Kheri kalan

City/Village: Tigaon

District: Faridabad

State: Haryana

Phone: 9871197697

Others: Rajesh and dharmender sharma and devendra kishan dutt and bishan dutt and ravidutt and sunil dutt are son of shri bedram etc

**Buyer / Second Party Detail**

Name: Ms s three Infrabuild llp

H.No/Floor: 201

Sector/Ward: 12

LandMark: Ozone center

City/Village: Faridabad

District: Faridabad

State: Haryana

Phone: 9811435524

Others: Ms s three infrabuild llp etc



Purpose: COLLABORATION AGREEMENT

The authenticity of this document can be verified by scanning this QRCode Through smart phone or on the website <https://egrashty.nic.in>

अनुबन्ध इकारानामा



यह अनुबन्ध इकारानामा दिनांक 19 मई 2017 सब रजिस्ट्रार तिगांव फरीदाबाद में निम्नाकित के वीच निर्धारित और पंजीकृत हुआ।

११२१४०८
२०७२

AM

Rajkumar

*Shashank
Rishabh
Sharma*

For S3 INFRABUILD LLP

Auth. Signatory

सहमति का नाम AGREEMENT

दोहर संबंधी विवरण

जालमीन/सब जहाजील Tigaon

गांव/साहर येदी कार्य

भवन का विवरण

भूमि का विवरण

भव भवंती विवरण

राशि 11,075,000.00 रुपये

कुल स्थाप इमुंडी की राशि 3,322,500.00 रुपये

E-Stamp स्टाम्प नं. 2017e142

स्थाप की राशि 3,322,500.00 रुपये

राजस्वेशासन फीस की राशि 15,000.00 रुपये

DFC: INJOGOKO

परिवर्तन दृष्टि 1.00 रुपये

Drafted By: R.K. Panchal Adv.

Service Charge: 200.00 रुपये

यह प्रतीक्षा आज दिनांक 19/05/2017 दिन सुकानार समय 1:08:00PM के बीच/श्रीमती/कृमार्ती Tari Devi आदि/पुरुष/स्त्री/लौमी/कृमार्ती Kahan Dut निवासी Kheri Kalan द्वारा विविकरण हेतु प्रमुख किया गया।

19/05/2017

द्वारा जेवर डिलाईट

हस्ताक्षर प्रमुखकार्ता

उप संदर्भत पैकीजन अधिकारी

S. Devi Devi etc.

Tigaon

प्रतीक्षा विवाहात श्री/श्रीमती/कृमार्ती Mr/Sr. S. Devi Devi etc. LL.P. Tari Pankaj Goyal वाला हाविर है। प्रमुख प्रतीक्षा के उच्चां को देखी विवाहकर मुक्तिहार किया। प्रतीक्षा के अनुसार 0.00 रुपये की राशि रांगड़ ने मेरे समक्ष प्रदानी गोने परी की एहताव श्री/श्रीमती/कृमार्ती N.K. Kaushik Adv. पुरुष/पुरुष/स्त्री/लौमी/कृमार्ती निवासी FBD व श्री/श्रीमती/कृमार्ती Tari Devi पुरुष/पुरुष/स्त्री/लौमी/कृमार्ती Prabhu Dugal निवासी FBD वे को।

माली नं. 1 को हम नवाहा/अधिकारी ने राप में जानो है तथा वह समझौते-मूद को प्राप्त करता है।

दिनांक 19/05/2017

उप संदर्भत पैकीजन अधिकारी
Tigaonयह प्राप्ति किया जाता है *जालमीन वर्तमान की रूपीया* जालमीन.jamalbandi.nic.in पर जान ली गई है।उप संदर्भत पैकीजन अधिकारी
Tigaon

N. K. Kaushik
Advocate
Court, Faizabad
Revenue Department Haryana

HARIS-EX

प्राप्ति नं. 756 / 5/e
संदर्भ नं. 2017e142
P/o जालमीन वर्तमान की रूपीया

NIC-HSU



६

हमके श्रीमती तारा देवी विधवा किशन दत्त पुत्र श्री वेदराम व राजेश, घमेन्द्र उर्फ घमेन्द्र शर्मा, देवदत्त पुत्रान रवि श्री किशन दत्त पुत्र श्री वेदराम व विशनदत्त, रविदत्त उर्फ रविदत्त शर्मा, सुनीलदत्त उर्फ सुनीलदत्त शर्मा, विष्णुदत्त उर्फ विष्णु प्रकाश पुत्रान श्री वेदराम पुत्र श्री हरीराम निवासीगण खेड़ीकलों उप-तहसील तिगोव जिला फरीदाबाद हरियाणा (जिन्हें बाद में भूमि मालिक कहा गया है) जोकि इस इकरारनामा में जहाँ कही भूमि मालिक शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ भूमि मालिक खुद व उनके उत्तराधिकारी कानूनी प्रतिनिधि एवं हस्तान्तरीगण शामिल हैं।

.....प्रथम पक्ष

४

M/s S3 Infrabuild LLP, 2F/1-3, Ozone Center, Sector-12, Faridabad, Haryana

जो सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत रजिस्टर्डशुदा है बजरिये अधिकृत हस्ताक्षरी श्री पंकज गोयल पुत्र श्री विश्वा कुमार गोयल (जिसे बाद में डबलपर कम्पनी कहा गया है) जोकि इस इकरारनामा में जहाँ कही भी डबलपर कम्पनी शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ डबलपर कम्पनी खुद व उसके उत्तराधिकारी कानूनी प्रतिनिधि एवं हस्तान्तरीगण शामिल हैं।

.....द्वितीय पक्ष

तारा देवी

क्र.ज्ञ.२

AM

Devdutt

Bhawan


Pw

Vishwanath

Sharma

For S3 INFRABUILD LLP

Authorised Signatory



(i) यह कि प्रथम पक्ष अपनी भूमि जिसका विवरण जमाबन्दी साल 2004-2005 मांव खेड़ीकलों उप-तहसील तिगांव, जिला फरीदाबाद हरियाणा में स्थित अराजी खेवट नं 248/211 खतीनी नं 321 मु०नं० 44 कौला 6/2/2(6-10), 7(8-0), 8(7-13), 13(7-13), 14(8-0), 15/1(6-10) किटा 6 कुल रक्का 44 कनाल 06 मरले यानि 5.5375 के हम भूमि मालिकान श्रीमती तारा देवी विधवा किशन दत्त पुत्र श्री वेदराम 4/35 माग व राजेश, धमेन्द्र उर्फ धमेन्द्र शर्मा, देवदत्त पुत्रान स्व० श्री किशन दत्त पुत्र श्री वेदराम 3/35 समभाग व विशनदत्त, रविदत्त उर्फ रविदत्त शर्मा, सुनीलदत्त उर्फ सुनीलदत्त शर्मा, विष्णुदत्त उर्फ विष्णु प्रकाश पुत्रान श्री वेदराम पुत्र श्री हरीराम 4/5 समभाग बलवे तकसीम नं० 6409 मंजूरशुदा दिनांक 7/08/2005 व दस्तबदारी नं० 6455 मंजूरशुदा दिनांक 13/09/2005 द्वारा मालिक व काविज हैं। और यह भूमि इकट्ठी है जोकि 44 कनाल 06 मरला है यह कि उपरोक्त मालिकों के सिवाय किसी और व्यक्ति का इस भूमि में कोई हक व वास्ता नहीं है कुल सालम रक्का 44 कनाल 6 मरला यानि 5.5375 एकड़ (जिसे बाद में उक्त भूमि कहा गया है)

(ii) यह कि उपरोक्त भूमि, भूमि मालिकों कि दादालाई जमीन है और उन्हें उक्त जमीन अपने पूर्वजों से विरासत में मिली है

(iii) यह कि उपरोक्त भूमि के मालिक उपरोक्त भूमि पर हरियाणा सरकार द्वारा घोषित अफॉडेवल हाउसिंग स्कीम दिनांक 19 अगस्त, 2013 के तहत जिसमे (Subsidy Available under PMAY-2015) रिहायशी भवन/व्यवसायिक कम्प्लेक्स आदि का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं

तारा शर्मा
राजेश
AM
Document

Bheee
DR
Vikas Solt
\$unam
For S3 INFRABUILD LLP

Auh. Signatory

(v)

जबकि उनको उपरोक्त भूमि को विकसित किये जाने वारे में कोई भी अनुभव ना है इस लिहाज से भूमि मालिक ने डबलपर कम्पनी को यह पेशकश की है जैसा कि भूमि मालिक जानते हैं कि डबलपर कम्पनी इस व्यवसाय में पूर्णतः अनुभव रखती है और इस हेत्र में जानी-मानी कम्पनी है और सभी किसी की जरूरतें उनके पास उपलब्ध हैं।

(vi) यह कि भूमि मालिक उपरोक्त भूमि के पूर्ण रूप से मालिक व काधिज है भूमि मालिक को इस भूमि को विकसित करने व डबलपर कम्पनी के साथ अनुबन्ध इकरारनामा करने का पूरा हक हासिल है। यह कि भूमि मालिक को यह अनुबन्ध इकरारनामा स्वयं करने का हक है।

(vii) यह है कि भूमि मालिक संयुक्त व व्यक्तिगत तौर पर डबलपर कम्पनी को यह विश्वास दिलाते हैं कि उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि सभी प्रकार से जैसे व्यादेश, शुल्क, दान, कजा, रहन, भार, कुर्की दायित्व किरायेदारी, अनाधिकृत, कब्जा, दावे, वाद-विवाद आदि से मुक्त है। यह कि भूमि मालिक को उपरोक्त भूमि की बाबत किसी भी विभाग से कोई सूचना या नोटिस नहीं मिला है और ना हि भूमि मालिक ने उपरोक्त भूमि की बाबत किसी भी प्रकार का कोई अनुबन्ध किसी भी व्यक्ति से किया है तथा भूमि मालिक यह भी वचन देते हैं कि इस अनुबन्ध के तहत व इसकी शर्तों के अनुसार उपरोक्त भूमि को प्रस्तावित प्रोजेक्ट के दौरान या इसके बाद पूर्ण होने तक और उसके बाद भी हर प्रकार के भार से पाक-साफ व दिकी की सूखत में रखेंगे।

(viii) यह है कि डबलपर कम्पनी भूमि मालिकों के द्वारा उपरोक्त दिये गये अन्यावेदन विश्वास व आश्वासन पर भरोसा करते हुये भूमि मालिक की उपरोक्त भूमि 44 कनाल 08 मरला यानि 5.5375

त/र/टैटी
क/ज/2
AM
Devolut

⑨/.....
R/V—
Vikas Dutt
Signature

For S3 INFRABUILD LLP

Aut. Signatory

(5)

एकड़ भूमि को सभी प्रकार के लाईसेन्स, परमीशन आदि प्राप्त करके रिहायशी भवन / व्यवसायिक कम्पलेक्स / प्लाटेड कालोनी आदि का प्रोजेक्ट के रूप में विकसित करने के लिए तैयार है। (जिसे आगे प्रस्तावित प्रोजेक्ट कहा गया है)

अतः दोनों फरीकैनों के बीच यह अनुबन्ध इकारारनामा निम्नलिखित शर्तों के तहत करार पाया है:-

1. यह अनुबन्ध इकारारनामा उपरोक्त भूमि 44 कनाल 06 मरले यानि 5.5375 एकड़ को रिहायशी भवन / व्यवसायिक कम्पलेक्स आदि का प्रोजेक्ट के रूप में विकसित करने के लिए किया जा रहा है। अर्थात् डबलपर कम्पनी उपरोक्त भूमि को इस अनुबन्ध इकारारनामा के तहत निर्धारित तरीके से सभी प्रकार के लाईसेन्स / परमीशन इत्यादि प्राप्त करके विकसित करेगी और डबलपर कम्पनी प्रस्तावित प्रोजेक्ट में निम्नलिखित कार्य जैसे भवन निर्माण, सड़क, सीधर, पानी, विजली, आदि की व्यवस्था भी करेगी।
2. यह कि भूमि मालिक यह मजूर करते हैं और उनका यह दायित्व है कि वे सभी डबलपर कम्पनी के कहने पर यदि उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में किसी भी प्रकार की कोई दुरुस्ती आदि करवानी है तो वे इस अनुबन्ध के पंजीकृत होने के 15 दिन के अन्दर अन्दर करवा कर डबलपर कम्पनी को सौप देंगे।
3. यह कि भूमि मालिक ने उपरोक्त भूमि का खाली व शान्ति पूर्वक कब्जा पूर्णतः भौतिक कब्जा डबलपर कम्पनी को दे दिया है और डबलपर कम्पनी की इस भूमि में रिहायशी भवन / व्यवसायिक कम्पलेक्स / प्लाटेड कालोनी आदि का प्रोजेक्ट इत्यादि के बाबत सरकार से लाईसेन्स आदि की

तारादेवी

वाजें

AM

Dabholkar



Dee

R. V. Dabholkar

Sharma

For S3 INFRABUILD LLP

Auth. Signatory

⑥

मन्जूरी लेकर विकसित करने की जिम्मेदारी होगी। यह कि उपरोक्त भूमि का पूर्ण रूप से विकास डबलपर कम्पनी द्वारा अपने खर्चे व अपने विवेक पर करना करार पाया है और भूमि मालिक किसी भी किसी का कोई खर्चा भूमि को विकसित करने के लिए नहीं करेगे।

4. यह कि डबलपर कम्पनी भूमि में डायरेक्टर जर्नल टाऊन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग चॅण्डीगढ हरियाणा (डी.टी.सी.पी.) व अन्य विभागों की इजाजत के अनुरूप भवन निर्माण, रोड, सीधर इलैक्ट्रीफिकेशन जल आपूर्ति इत्यादि कार्य करने की जिम्मेदार है और सम्बन्धित नियमों व कानूनों के तहत विकास कार्य में डबलपर कम्पनी सम्पूर्ण खर्चा अपने पास से लगायेगी। यह कि सभी सम्बन्धित व उचित इजाजत/मन्जूरी जो डी.टी.सी.पी. व अन्य सम्बन्धित विभागों से लेनी अनिवार्य है वह डबलपर कम्पनी उपरोक्त भूमि की बाबत अपने खर्चों पर लेगी और इस काम के लिये भूमि मालिक से जो भी सम्बन्धित प्लान/पेपर या अन्य दस्तावेज हलफनामा अण्डरटेकिंग इत्यादि की आवश्यकता होगी उन सब को भूमि मालिक हस्ताक्षरित निष्पादित व पंजीकृत करने के लिए जिम्मेदार होंगे और इसके अलावा जो भी सहायता भूमि मालिक से डबलपर कम्पनी को बाबत मन्जूरी व इजाजत जलारत पड़ेगी। वह सब भूमि मालिक देने के पावन रहेंगे। यह कि भूमि मालिक सभी दस्तावेज, पत्र व अण्डरटेकिंग आदि जिन कामजातों की भूमि को विकसित किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यकता होगी उन सभी कामजातों को भूमि मालिक हस्ताक्षर निष्पादित व पंजीकृत करने के लिए बाध्य होंगे। यह कि उक्त भूमि में लाईसेंस आदि लेने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी डबलपर कम्पनी की है और इसके लिए पूरा खर्चा जो भी लाईसेंस परमिशन मन्जूरी व इजाजत

तारीखी
वार्षे

AM

Draolet

9/1/2019

ROM

W.H. M.

SHARMA

For S3 INFRABUILD LLP

L.S. Signatory

(7)

लेने में (डी.टी.सी.पी.) हरियाणा चण्डीगढ़ या अन्य किसी भी विभाग में लगेगा वह ढवलपर कम्पनी
वहन करेगी।

5. यह कि भूमि मालिक इस अनुबन्ध के अनुसार उपरोक्त भूमि को विकसित करने के लिए सभी
प्रकार के लाईसेन्स, परमिशन आदि प्राप्त करने के लिए उक्त भूमि में भवन निर्माण आदि उसको
विकसित करने के लिए और भविष्य में सम्पूर्ण विकसित ऐरिया का इस अनुबन्ध में दी गई शर्तों के
अनुसार बेचने आदि सभी कार्यों के लिए व सभी प्रकार के दरतावेजों को हस्ताक्षर करने के लिए
डवलपर कम्पनी को एक अखण्डनीय मुख्यालयनामा खास देगें जोकि डवलपर कम्पनी के नोमिनी श्री
श्री संदीप अग्रवाल पुत्र श्री दयाधन्द अग्रवाल निवासी ज्ञान बाल भील, बाईपास रोड, होड़ल, तहसील
होड़ल, जिला पलवल (121106), हरियाणा के हक में हस्ताक्षरित निष्पादित व पंजीकृत होगा जिसमें
डवलपर कम्पनी के नोमिनी को यह हक होगा कि वह अपनी शक्तियों को हस्तान्तरित भी कर
सकेगा यदि बाद में डवलपर कम्पनी को जरूरत पड़ती है तो वह भूमि मालिकों से दूसरा
मुख्यालयनामा खास किसी और व्यक्ति के नाम करवा सकते हैं परन्तु उससे पहले पुराना
मुख्यालयनामा खास कैसिल करवाना होगा।

6. (क) यह है कि डवलपर कम्पनी भूमि मालिक को इस अनुबन्ध की पूर्ति के लिए कुल रूपये
20,00,000/- (बीस लाख रूपये) प्रति एकड़ की दर से देगी जो रकम कुल भूमि 44 कनाल 6
मरले यानि 5.5375 एकड़ के अनुसार कुल रूपये 1,10,75,000/- (एक करोड़ दस लाख पिछतर
हजार रूपये) बनती है। जिसका भुगतान इस अनुबन्ध के नियमादन व पंजीकरण के समय दे रही
है जिसका विवरण निम्न है :-

पाठी
वाजें

AM

Deshraj

13/10/00

10/10/00

Vikas 20/10/00

Barnali

For S3 INFRABUILD LLP

Jadeja

Auth. Signatory

नाम	चैक नं.	दिनांक	रुपये
(i) तारा देवी	00102	19/05/2017	10,31,142/-
(ii) राजेश	000200	12/04/2017	05,51,000/-
(iii) धमेन्द्र उर्फ धमेन्द्र शर्मा	000103	19/05/2017	03,16,429/-
(iv) देवदत्त	000104	19/05/2017	03,16,429/-
(v) विश्वन दत्त	000197 378042 000105	12/04/2017 02/05/2017 19/05/2017	5,51,000/- 5,00,000/- 11,64,000/-
(vi) रविदत्त उर्फ रविदत्त शर्मा	000199 378040 000106	12/04/2017 02/05/2017 19/05/2017	5,51,000/- 5,00,000/- 11,64,000/-
(vii) सुनीलदत्त उर्फ सुनीलदत्त शर्मा	378041 000107	02/05/2017 19/05/2017	10,00,000/- 12,15,000/-
(vii) विष्णुदत्त उर्फ विष्णु प्रकाश	000198 378030 000108	12/04/2017 2/05/2017 19/05/2017	5,51,000/- 10,00,000/- 6,64,000/-

उपरोक्त सभी चैक करुर वैश्या बैंक फरीदाबाद पर देय हैं और भूमि मालिक उपरोक्त चैकों को बसूल पाना स्वीकार करते हैं।

११२१४०८
२०३२

D. D. Dantot

R. P. Dantot

For S3 INFRABUILD LLP

Mr. Signatory

⑨

7. यह तय है की ड्वलपर कम्पनी इस अनुबन्ध के निष्पादन के दिन से उधित लाईसेन्स परमिशन इत्यादि की प्राप्ति की कार्यवाही शुरू करेगी ड्वलपर कम्पनी उपयुक्त लाईसेन्स आदि अप्लाई करने के कम से कम 8 माहा व अधिकतम 12 महीनों के अन्दर उपयुक्त लाईसेन्स आदि अपने सम्पूर्ण प्रयासों से प्राप्त करेगी और यदि उपयुक्त लाईसेन्स आदि के लिए समय सीमा बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है तो ड्वलपर कम्पनी और भूमि मालिक आपसी सहमति से वह समय सीमा जरूरत के मुताबिक बढ़ा सकते हैं।

8. यह कि ड्वलपर कम्पनी उपरोक्त भूमि पर प्रस्तावित प्रोजेक्ट को विकसित करने के लिए 48 महीने में जोकि सकाम विभाग द्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट की मन्जूरी से प्रारम्भ होंगे सारे प्रयत्न करेगी तथा जो असमान परिस्थितियों के समय को छोड़कर ड्वलपर कम्पनी की युक्ति संगत नियन्त्रण में हो सकेगा उपरोक्त निर्धारित समय को दोनों पक्षों की आपसी सहमति से और परिस्थितियों के अनुसार बढ़ाया जा सकेगा।

9. यह कि ड्वलपर कम्पनी का यह दायित्व होगा कि वह प्रस्तावित प्रोजेक्ट की बाबत सभी प्रकार के plan व Drawing Etc. हरियाणा सरकार Town & Country Planning Department व अन्य Competent Authority के Rules व By- Laws के अनुसार बनाये व पास करवाये, इसका सम्पूर्ण दायित्व ड्वलपर कम्पनी का होगा ऐसे किसी भी Plan के लिए ड्वलपर कम्पनी पूर्णतया स्वतन्त्र होगी।

10. यह कि ड्वलपर कम्पनी उक्त भूमि को विकसित करने के उद्देश्य से आवश्यकता अनुसार व सरकार की वर्तमान नितियों के अनुसार कोई भी स्कीम बना सकती है और उसमें जरूरत पड़ने पर बदलाव भी करने के लिए पूर्णतया स्वतन्त्र होगी।

11. यह कि ड्वलपर कम्पनी का यह भी दायित्व होगा कि वह प्रस्तावित प्रोजेक्ट में भवन निर्माण में गुणवता का ध्यान रखे और सरकार द्वारा तथ सभी भवन निर्माण व अन्य विकास कार्यों में तय

११२१५३
वार्षिक

DM
Dwarka



Bhagat
Ranjan
Vikram Singh
Dwarka

For S3 INFRABUILD LLP

Amt. Signatory

(16)

मापदन्धो का पालन करे। प्रस्तावित प्रोजेक्ट में भवन निर्माण व अन्य विकास कार्यों में उपयोग होने वाली सामग्री से किसी भी कमी के लिए भूमि मालिक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

12. यह कि प्रास्तावित प्रोजेक्ट में भवन निर्माण व अन्य विकास कार्यों के लिए नियुक्त कर्मचारियों व ठेकेदारों के सम्पूर्ण भुगतानों के लिए डबलपर कम्पनी की जिम्मेदारी होगी और इस कार्य में नियुक्त सभी मजदूरों कर्मचारियों व ठेकेदारों से सम्बन्धित सरकार के तय नियम व कानूनों को पूर्णतया पालन करने की जिम्मेदारी डबलपर कम्पनी की होगी इससे भूमि मालिक का कोई लेना देना नहीं होगा।

13. यह कि भूमि मालिक इस बात से सहमत रजामंद व पाबन्द है कि यदि उपरोक्त भूमि व इसका कोई हिस्सा मलकियत में कोई नुकस के कारण व अन्य किसी भी कारण वश कम या खो जाता है तो ऐसी रिधति में उतने हिस्से से उपरोक्त भूमि यानि 5.5375 एकड़ जो इस अनुबन्ध में लिखी गई है वह अनुपातिक रूप में कम हो जायेगी और उसी अनुपात में भूमि मालिक के हिस्से की राशि भी कम हो जायेगी और यदि डबलपर कम्पनी को या प्रस्तावित प्रोजेक्ट के दूसरे खरीददारों को इस तरह से कोई नुकसान होता है तो भूमि मालिक ऐसे सम्पूर्ण नुकसान का भुगतान करने के जिम्मेदार होगें अर्थात् भूमि मालिक इस प्रस्तावित प्रोजेक्ट के खरीददारों को ऐसे सम्पूर्ण नुकसान की क्षतिपूर्ति करेंगे या ऐसे नुकसान की सम्पूर्ण राशि भूमि मालिक के हिस्से से काटने का डबलपर कम्पनी को पूर्ण हक होगा इसमे भूमि मालिक को कोई एतराज नहीं होगा।

14. यह कि डबलपर कम्पनी व भूमि मालिक उपरोक्त भूमि को लाईसेन्स व परमिशन की शर्तों के अनुसार व सरकार के सभी Rules व By-Laws के अनुसार भवन निर्माण व पूर्ण रूप से विकसित करने के पश्चात विकसित एरिया को बेचने से जो राशि उपलब्ध होगी उस राशि में निम्न आधार पर आपने अपने हिस्से के हकदार होगें :-

मारुदी
राजेश
AM
Dineshwar

B/ceee
Rajesh
Vikas Park
Sharma
For S3 INFRABUILD LLF
Auth. Signatory

(क) भूमि मालिक द्वारा उपरोक्त भूमि को इस प्रस्तावित प्रोजेक्ट को विकसित करने के लिए डबलपर कम्पनी को दिया है और डबलपर कम्पनी इस प्रस्तावित प्रोजेक्ट में अपने खर्च पर भवन निर्माण करेगी व अन्य विकास कार्य करेगी व सभी प्रकार की मंजूरी व इजाजत का खर्च करेगी तथा उसके बाद विकसित एरिया को बेचने से जो राशि प्राप्त होगी उस में भूमि मालिकों का 29 प्रतिशत हिस्सा होगा और डबलपर कम्पनी का 71 प्रतिशत हिस्सा होगा अर्थात् प्रस्तावित प्रोजेक्ट में विकसित Carpet Area एरिया को बेचने से जो भी विकाय राशि प्राप्त होगी वह सम्पूर्ण राशि भूमि मालिक व डबलपर कम्पनी में 29:71 के अनुपात में बांटी जायेगी।

(ख) यह तय है कि यदि डबलपर कम्पनी प्रस्तावित प्रोजेक्ट को लाइसेंस आदि लेने में उपरोक्त भूमि यानि 5.6375 एकड़ के अलावा कोई भूमि जोड़ती है तो ऐसी भूमि या उसके विकसित एरिये में भूमि मालिकों का कोई हक, किलोम या मतलब नहीं होगा अर्थात् भूमि मालिकों को केवल अपनी भूमि की बाबत अनुपातिक विकाय राशि का हिस्सा प्राप्त होगा।

(ग) यह तय है कि ऐसी कार्यवाही के लिए जो भी कागजातों को हस्ताक्षर करने वीज जरूरत होगी ऐसे सभी कागजातों पर भूमि मालिक डबलपर कम्पनी के कहने पर हस्ताक्षर व निष्पादित करने के लिए वचनबद्ध है।

15 यह तय है कि बाह्य विकास शुल्क(External Development Charges) व आधारभूत संरचना विकास शुल्क (Infrastructure Development Charges) वर्तमान व भविष्य में उनमें होने वाली वृद्धि तथा इस पर लगने वाले सम्पूर्ण ब्याज इत्यादि सम्पूर्ण रूप में डबलपर कम्पनी भुगतान और वहन करेगी।

११३१५ वी
वार्ड २

AM
Devender

Bhawan

RJ
Vikas Patel

Bhimrao

For S3 INFRABUILD LLP

Amit Elankary

16. यह कि जब डवलपर कम्पनी उक्त भूमि को विकसित करने की बाबत सभी प्रकार के लाईसेन्स / परमिशन आदि प्राप्त कर लेगी और लाईसेन्स / परमिशन आदि की सभी शर्तों का अनुपालन करेगी तब डवलपर कम्पनी को इस अनुबन्ध की तय शर्तों के अनुसार भूमि मालिकों द्वारा नियुक्त मुख्तारखास के द्वारा डवलपर कम्पनी को यह हक होगा कि वह उक्त सम्पूर्ण भूमि या किसी हिस्से का या लाईसेन्स / परमिशन के तहत विकसित हिस्से की बाबत किसी प्रकार का इकरारनामा व बैयनामा अपने हक में या अपनी नामित कम्पनी या व्यक्ति के हक में या प्रस्तावित खरीदारों के हक में उतने का पूर्ण अधिकार होगा। यह अधिकार डवलपर कम्पनी भूमि मालिकों को विकसित ऐरिये के बेचने से प्राप्त राशि के अनुपात में यानि जितने विकसित ऐरिये का भूमि मालिकों को अपना हिस्सा प्राप्त हो जायेगा उसने हिस्से का बैयनामा आदि का अधिकार डवलपर कम्पनी को इस अनुबन्ध के तहत नियुक्त मुख्तारखास के द्वारा करने का होगा।

17. यह कि भूमि मालिकों का यह पूर्ण कर्तव्य व दायित्व है और सभी भूमि मालिक पूर्णतया वचनबद्ध हैं कि वे इस अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार व सम्बंधित विभागों द्वारा जारी लाईसेन्स व अन्य परमिशन आदि की शर्तों अनुसार उक्त सम्पूर्ण भूमि पर या उसके किसी भाग या हिस्से पर भवन निर्माण व अन्य विकास कार्य पूर्ण होने पर वे ऐसे विकसित ऐरिया Carpet Area का मालिकाना हक डवलपर कम्पनी या उसके नामित व्यक्तियों या प्रस्तावित खरीदारों और आवटियों के नाम सम्बन्धित सब-रजिस्ट्रर कार्यालय में स्वयं प्रस्तुत होकर या अपने द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा हस्तानकारण करेंगे।

18. यह कि भूमि मालिक इस अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार जो लिखित है इस बात से सहमत है कि भूमि मालिक इस अनुबन्ध के निष्पादन के दिन उपरोक्त भूमि का वास्तविक, भौतिक, खाली तथा शान्तिपूर्वक कब्जा डवलपर कम्पनी को देगा जिसमें उसको प्रयोग करने की सारी शर्तें अखण्डनीय होगी तथा जो उपरोक्त भूमि को विकसित करने के लिए जरूरी हैं। अर्थात् भूमि

११२१५१
२०१२-

Dandia

P.
Vikas Bhacee

20/01/2011

For S3 INFRABUILD LTD

Aastha Laboratory

(13) मालिक को या उनके बारसान आदि को इस अनुबन्ध की पूर्ति या उसके बाद उपरोक्त भूमि का कब्जा मांगने का या उसमें किसी भी रूप में अवरोध डालने का हक ना होगा।

19. यह कि डबलपर कम्पनी को हक होगा कि वह प्रस्तावित प्रोजेक्ट की बाबत किसी व्यक्ति प्रोपराइटरशिप फर्म साझेदारी फर्म कम्पनी या कम्पनियों के समूहों के साथ प्रस्ताव करे या किसी निरीक्षक इन्जीनियर ठेकेदार व उप ठेकेदार कर्मचारी या इस प्रकार के परा-अमिक नियुक्त करे जोकि प्रस्तावित प्रोजेक्ट की तैयारी तामीर विकास या उचित मञ्जूरी के लिए आवश्यक हो अपनी जिम्मेदारी व अपने खर्च पर करेगी तथा न्यूनतम देय राशि तनखाह व्यवसायिक फीस व अन्य खर्च जोकि कर्मचारी व अन्य व्यक्ति से जो प्रस्ताव बाबत होंगे वह सम्पूर्ण जिम्मेदारी डबलपर कम्पनी की होगी भूमि मालिक इसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं ढालेंगे।

20. यह कि डबलपर कम्पनी भूमि मालिक के नाम पर व उसके विहाफ पर Attorney के द्वारा केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्तर्गत ऐसे कार्यालयों में जिसमें उपरोक्त भूमि पर प्रस्तावित प्रोजेक्ट विकसित करने वारे मञ्जूरी की आवश्यकता है वहां पर दरखास्त लगायेगी। जो कि मुनिसिपल प्लान व अन्य उचित विभाग के तहत लागू होगा। डबलपर कम्पनी को यह हक हासिल होगा कि उपरोक्त प्लान बाबत अपनी जरूरत के मुताबिक अन्य कोई बदलाव/नवीनीकरण जो भी आवश्यक हो वह कर सकती है इसमें भूमि मालिकों को कोई आपति या एतराज नहीं होगा।

21. यह कि सभी प्रकार के टैक्स कर व अन्य भुगतान जो राजस्व विभाग या अन्य विभाग को देय है इस अनुबन्ध के निष्पादन के पहले के हैं वे सभी भूमि मालिक वहन करेंगे तथा जो इस अनुबन्ध के निष्पादन के बाद के हैं और जब तक इस प्रोजेक्ट का सम्पूर्ण विकास नहीं हो जाता तब तक उनको वहन करने की सारी जिम्मेदारी डबलपर कम्पनी की होगी।

1121 की

राजेश

AM

Danish

Shahid
Vikas Puri
Sharma

For S3 INFRABUILD LLP

Lokesh

Auth. Signatory

(6)

22. यह कि भूमि मालिक उपरोक्त भूमि में प्रस्तावित प्रोजेक्ट के विकास व तामीर या उस बाबत के किसी दस्तावेज के निष्पादन व पंजीकरण मे किसी भी प्रकार का विलम्ब नहीं करेंगे और अपनी तरफ से पूर्ण सहयोग करेंगे।

23. यह कि भूमि मालिक सभी दस्तावेज इकारारनामा विश्यास पत्र आदी जो भी जरुरी है डबलपर कम्पनी के हक मे हस्ताक्षरित, निष्पादित व रजिस्ट्रर्ड करने के बचनबद्ध रहेंगे डबलपर कम्पनी को हमेशा इस बात का हक होगा कि वह किसी भी समय प्रस्तावित प्रोजेक्ट की बाबत किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त भूमि मे विकसित एसिया के किसी भी भाग का इकारारनामा करे, देये और इनसे सम्बन्धित सभी कागजातो पर हस्ताक्षर करे इसमे भूमि मालिको को कोई यास्ता या एतराज नहीं होगा।

24. यह कि यदि किसी भी प्रकार का दावा मींग या कर दायित्व व किसी अन्य कोर्ट का आदेश भूमि मालिक के खिलाफ पाया जाता है तो अनुबन्ध की इस शर्त के मुताबिक उस सूरत में विकास कार्य या निर्माण या इस अनुबन्ध की अन्य बातो पर इनको पूरा होने से पहले या बाद मे भूमि मालिक या अन्य द्वारा किसी भी सूरत में हस्तक्षेप या रुकावट ना ढाली जायेगी। यदि ऐसा होता है तो ऐसे सभी नुकसान की पूर्ति भूमि मालिक के हिस्से से की जाएगी।

25. यह कि डबलपर कम्पनी को यह हक होगा कि वह इस अनुबन्ध के तहत अपने अधिकारो को किसी और व्यक्ति या कम्पनी आदि के नाम हस्तान्तरित कर सके इसमे भूमि मालिको को कोई एतराज नहीं होगा।

26. यह कि सभी प्रकार के भुगतान स्टाम्प पैपर खरीदने व उनको पंजीकृत कराने के लिये या अन्य दस्तावेज जो इस अनुबन्ध की पूर्ति के लिए जरुरी होंगे ऐसे सभी खर्च डबलपर कम्पनी द्वारा देय होंगे।

८/१२१ देवी

राजेश

AM

Dorabut

Shree

RT

Wihna Dott

Sharmaji

For S3 INFRABUILD LLP

Auth. Signature

27. यह कि दोनों पक्षाकार व्यक्तिगत रूप से इस अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार विकसित एरिया को बेचने से प्राप्त विकाय राशि में अपने हिस्से की राशि पर आयकर तथा दूसरे कर दायित्वों के लिए उत्तरदायी होंगे।
28. यह कि विकसित एरिया में बद्यनामा व दूसरे तब्दील मलकिन्यत के कागजात की बाबत स्टाम्प पेपर बगैरा डबलपर कम्पनी या प्रस्तावित खरीददारों ने लगाने का इकरार पाया है विकसित एरिये को बेचेने की एवजा में पैसे वसूल करने का हक सिर्फ डबलपर कम्पनी को होगा व और यह तय है इस पैसे पर भूमि मालिक का हक इस अनुबन्ध कि शर्तों अनुसार होगा।
29. यह तय है कि डबलपर कम्पनी ने उपरोक्त भूमि पर इस प्रोजेक्ट को विकसित करने के लिए सभी उचित परमीशन, लाईसेंस इत्यादि की कार्यवाही करेगी और सभी कार्यवाही में अपनी और से खर्च करेगी और इस प्रोजेक्ट के विकास पर भी खर्च करेगी इसलिए भूमि मालिक व उसके किसी उत्तराधिकारी व अन्य किसी को भी यह हक नहीं होगा कि वह इस अनुबन्ध को कैसल करने या वापिस करने की मांग करें या इस अनुबन्ध की शर्तों से मुकर जाएं। यदि ऐसा होता है तो इन परिस्थितियों में डबलपर कम्पनी को यह पूर्ण हक होगा कि वह इस अनुबन्ध को सम्बन्धित न्यायालय के द्वारा पूरा करवाये और यह भी तय है कि इस कार्यवाही में होने वाले सम्पूर्ण खर्च को भूमि मालिक से वसूल किया जाएगा।
30. यह कि डबलपर कम्पनी को हक होगा कि वह अपने नाम पर तथा अपने भुगतान पर प्रस्तावित प्रोजेक्ट बाबत पम्पेलेट वार्ड चर्चर पिल्केशन न्यूज पेपर या मैगजीन में या अपने साईन बोर्ड द्वारा या अन्य किसी तरीके से विज्ञापन देगी और डबलपर कम्पनी जैसा ठीक समझे वैसा प्रस्तावित प्रोजेक्ट बाबत जहाँ भूमि है वहाँ पर या अन्य किसी दूसरी जागह पर प्रस्तावित खरीददारों को आमन्त्रित कर सकती है।

Beeeee

११२१५१
राजेश

AM

Product

Mr. Nitin Puri

S. Bhattacharya

For S3 INFRABUILD LLP

Auth. Signatory

31. यह कि दोनों पक्ष इस पर सहमत है कि LOI⁽⁴⁾ जारी करने के लिए उक्त कोलोनीब्रेशन एग्रीमेन्ट में निम्न शर्तें लागू हैं।

- (a) डवलपर कम्पनी पूर्ण रूप से LOI के अन्तर्गत मिलने वाले लाइसेंस/परमिशन आदि के सभी नियम व शर्तों को और उसके अन्तर्गत वर्णित Rules-1976 में वर्णित सभी नियम व शर्तों का लाइसेंस के पश्चात Final Completion Certificate मिलने तक या DGTCP Haryana के आदेश द्वारा सभी दायित्वों से मुक्त होने के बाद दोनों में से किसी भी स्टेज जो पहले आजाए उस तक डवलपर कम्पनी पूर्ण रूप से सभी शर्तों व नियमों का पालन करने के लिए बाध्य होगी।
- (b) दोनों पक्ष पूर्ण रूप से सहमत हैं कि उक्त कोलोनीब्रेशन एग्रीमेन्ट पूर्ण रूप से अपरिवर्तनिय है तथा उसकी किसी भी शर्त में बदलाव के लिए Directorate of Town & Country Planning, Haryana, Chandigarh से पहले स्थीकृती लेंगे।

32. यह कि भूमि मालिक उपरोक्त भूमि के सारे असल दस्तावेज इस अनुबन्ध के निष्पादन के समय डवलपर कम्पनी को सौप देंगे तथा डवलपर कम्पनी उन सभी दस्तावेजों को अपने कब्जे में लेकर पूर्ण रूप से सुरक्षित रखेंगी। यह है कि डवलपर कम्पनी को यह हक होगा कि वह अपनी मर्जी से इस प्रोजेक्ट का नाम अपने नाम पर रखे इसमें भूमि मालिक को कोई ऐताज नहीं होगा।

33. यह कि डवलपर कम्पनी की भाति भूमि मालिक भी प्रस्तावित प्रोजेक्ट यावत लाइसेंस लेने के नियम व शर्तें तथा डी०टी०सी०पी०के सभी नियम व शर्तों को मानने के लिए बाध्य होंगे इससे सम्बन्धित सभी कमियों या सुधार के खर्च डवलपर कम्पनी के द्वारा देय होंगे इस बारे में भूमि मालिक उत्तरदायी नहीं होंगे।

११३। दृष्टि

राजेश

AM

Dwarka

Bhacees

DR
Vikas Seth
Suman

For S3 INFRA PVT.

Auth. Signatory

(17)

34. यह है कि इस अनुबन्ध की यह शर्त होगी कि भूमि मालिक को डबलपर कम्पनी के किसी भी कार्य में दखलनदाजी करने का हक नहीं होगा।

35. यह है कि डबलपर कम्पनी को यह हक होगा कि वह उपरोक्त भूमि पर प्रस्तावित प्रोजेक्ट की बाबत सभी प्रकार कि उचित लाईसेन्स, परमिशन आदि प्राप्त करने के बाद किसी भी सरकारी बैंक या गैर सरकारी संस्था से भावी खरीदारी व आवंटियो को उनकी Unit पर ऋण प्राप्त करने के लिए दोनों पक्ष प्रस्तावित प्रोजेक्ट को पास करवायेंगे और इसमें जो भी कागजाती पर भूमि मालिक के हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी उस पर भूमि मालिक हस्ताक्षर करेंगे और इस कार्यवाही में डबलपर कम्पनी के साथ पूर्ण सहयोग करेंगे।

36. यह है कि भूमि मालिक उक्त भूमि की बाबत लाईसेन्स आदि अप्लाई करने के लिए कोलोनिशन अनुबन्ध, मुख्यारखास, अन्डरटेकिंग, शपथ पत्र, N.O.C., प्रार्थना पत्र आदि सभी प्रकार के कागजों पर हस्ताक्षर करके उन्हें निष्पादित व पंजीकृत करवायेंगे और उसके अलावा भविष्य में किसी प्रकार के कोई कागजात की आवश्यकता पढ़ने पर सभी भूमि मालिक डबलपर कम्पनी के कहने पर ऐसे कागजातों को निष्पादित व पंजीकृत करवाने के लिए बाध्य होंगे।

37. यह कि दोनों पक्ष इससे सहमत हैं कि यदि इस अनुबन्ध में कोई शर्त गैर - कानूनी पाई जाती है तो वह बाध्य नहीं होगी और ऐसी किसी भी शर्त को दोनों पक्ष आपसी सहमती से परिवर्तित कर लेंगे।

38. यह कि दोनों पक्ष सहमत हैं कि यदि इस अनुबन्ध की कोई शर्त भविष्य में व्यावहारिक नहीं होती है या किसी शर्त को दोनों पक्ष बदलना चाहते हैं तो दोनों पक्ष ऐसी किसी भी शर्त में आपसी

२०/२१ है वी

राजेश

AM

Dawood

Shree

Rm

Vikas Mittal

Shree

For S3 INFRABUILD LTD.

Auth. Signatory

सहमति से बदलाव कर सकते हैं या आपसी सहमति से कोई भी नई शर्त इस अनुबन्ध में जोड़ सकते हैं।

39. यह कि यह अनुबन्ध इकारारनामा भूमि नालिक व डवलपर कम्पनी के मध्य किसी भी प्रकार से साझेदारी सम्बन्ध को स्थापित नहीं करता और ना ही करेगा।

40. यह तय है कि दोनों पक्ष पूर्ण रूप से इस अनुबन्ध की सभी शर्तों को अपने अपने प्रयासों व सहयोग से पूरा करेंगे और एक दूसरे को पूरा सहयोग देते हुए इस अनुबन्ध को पूर्ण करेंगे।

41. यह कि यदि कोई प्रश्न व विवाद बाबत कोलोनियल इकारारनामा व उसकी व्याख्या की बाबत उत्पन्न होता है तो दोनों फरीदेन आपसी सहमति से निपटाने के पाबन्द रहेंगे और यदि ऐसा सम्भव ना हो तो उस सूरत में उपरोक्त विवाद को किसी निष्पक्ष मध्यस्थ की मार्फत निपटाया जावेगा जो कि डवलपर कम्पनी का वाईस प्रेसिडेंट / जरनल मैनेजर होगा यह भी तय है इसकी कार्यवाही Arbitration and Reconciliation Act 1996 और उसमें हुए बदलावों के तहत होगी जिसका कार्यालय फरीदाबाद में होगा यदि जरूरत हुई तो कोर्ट के माध्यम से और जिसके लिए फरीदाबाद व चण्डीगढ़ की कोर्ट्स को क्षेत्राधिकार होना करार पाया है।

42. यह है कि यदि डवलपर कम्पनी का प्रोजेक्ट पास नहीं होता है या परमिशन व लाइसेन्स नहीं मिलता है तो भूमि नालिकान को हक होगा की वह प्राप्त चीं गई रकम को जब्त कर ले व मुख्यतारखास और कोलोनियल एथीमेन्ट निरस्त कर दे। डवलपर कम्पनी को इस पर कोई एतराज ना होगा व डवलपर कम्पनी इस बाबत कही भी किसी भी अदालत में वाद दायर नहीं कर सकती है।

For S3 INFRABUILD LLP

Auth. Signatory

43. यह कि इस अनुबन्ध के निष्पादन व रजिस्ट्रेशन में होने वाला सभी खर्च व स्टाम्प पेपर आदि
डबलपर कम्पनी ने बहन किया है।

For S3 INFRABUILD

तिथि —

स्थान : फरीदाबाद
(भूमि मालिकान)

S3 Infrabuild LLP

(डबलपर कम्पनी)

(i) लाता देवी

11/3/1998

(ii) राजेश

राजेश

(iii) धर्मेन्द्र उर्फ़ धर्मेन्द्र शर्मा

Dharmendra

(iv) देवदत्त

Devi Datt

(v) विजय दत्त उर्फ़ विश्वन दत्त शर्मा

Vijay Datt

(vi) रविदत्त उर्फ़ रवि दत्त शर्मा

Ravinder Datt

(vii) सुनीलदत्त उर्फ़ सुनीलदत्त शर्मा

Sunil Datt

(viii) विष्णुदत्त उर्फ़ विष्णु प्रकाश

Vishnu Datt

1. गवाह

N. K. Ke [Signature]
Advocate
District Court, Faridabad

2. गवाह

[Signature]
S. [Signature]
R. [Signature]

Drafted By

R. K. [Signature]
Panchal, A.O.



ग्रामीण



प्रमोटर



मैनेजर



व्हाइकल एंड लॉन अधिकारी


ग्रामीण	Tan Devi - 1121507-A-11672	दृष्टि	<i>(Signature)</i>
प्रमोटर	For S3 INFRABUILD LLP		
मैनेजर	<i>(Signature)</i>		
व्हाइकल एंड लॉन अधिकारी	<i>(Signature)</i>		
तारीख	TAN SHARMA <i>(Signature)</i>		
प्रमोटर	<i>(Signature)</i>		
मैनेजर	<i>(Signature)</i>		
व्हाइकल एंड लॉन अधिकारी	<i>(Signature)</i>		



उपलब्ध-पत्र

उपलब्ध निया जाता है कि यह पत्रिका कार्यक 756 आव दिनांक 19/05/2017 का बहुत ज्ञात | निया नं. ०१ में
पुस्तक नं. ११९ पर विविध चिपा गया था। इसकी एक अच्छी अवैधिकता वाली समाज | निया नं. ०२ के
पुस्तक नं. ४० से ४२ पर विषयक है। यह नई उपलब्ध निया जाता है कि इस उल्लंघन के प्रमुखतावां और
प्रमाणी ने अपने उल्लंघनाविवाद अनुब्रूप से आमत चियो है।

दिनांक: 19/05/2017

व्हाइकल एंड लॉन अधिकारी
TAN SHARMA